बरेली पुलिस

दिनांकः- 08.09.2022

बरेली पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में की गई प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म कर हत्या कर देने के आरोपी विकास को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

आज दिनांक 08.09.2022 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश बरेली द्वारा थाना विशारतगंज, बरेली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 194/18 धारा 302/376 IPC व धारा 4 पाक्सो एक्ट की सुनवाई के उपरान्त फैसला सुनाते हुए अभियुक्त विकास पुत्र तेजपाल निवासी कन्नपुर खेड़ा डाडी के पास थाना दातागंज जनपद बदायूँ को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 14.12.2018 को वादी की तहरीरी सूचना के आधार थाना विशातरगंज, बरेली पर मु0अ0सं0 194/18 धारा 302 IPC बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। विवेचक द्वारा प्रकरण की विवेचना की गयी और साक्ष्य संकलित कर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 IPC व ¾ पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्त विकास उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 13.03.2019 को आरोप पत्र सं0 28/19 मा0 न्या0 दाखिल किया गया। थाना विशारतगंज के पैरोकार का0 221 नईम अहमद के द्वारा प्रभावी पैरवी कर साक्षी प्रस्तुत कराये गये। जिस कारण मा0 न्या0 द्वारा अभियुक्त विकास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा पैरोकार का0 नईम अहमद को प्रशस्ति पत्र दिया गया।